सं. 21034/76/2008-रा.भा.(प्रशि.)/(ii)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

3 DEC 2008

लोकनायक भवन, खान मार्किट

नई दिल्ली 110003

दिनांक 28 नवम्बर,2008

कार्यालय ज्ञापन

विषयः-केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों तथा केंद्र सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों/निकायों/राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के सभी वर्ग के अधिकारियों को स्वैच्छिक आधार पर कंप्यूटर पर हिंदी टाइपलेखन/शब्द संसाधन का प्रशिक्षण प्रदान करना।

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों एवं अन्य नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, स्वायत्तशासी निकायों आदि में पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमाने पर कंप्यूटराइजेशन हुआ है और अब सभी वर्ग के अधिकारियों द्वारा अधिकांश शासकीय कार्य अपने स्तर पर कंप्यूटर के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। इस संदर्भ में बार-बार यह स्पष्टीकरण मांगा जाता रहा है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्तशासी निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि में कार्यरत सभी अधिकारियों को क्या केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना के माध्यम से हिंदी टाइपलेखन /शब्द संसाधन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए?

2. **कंप्यूटर पर हिंदी में शब्द संसाधन की आवश्यकता एवं मांग को देखते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि चूंकि सभी वर्ग के अधिकारियों को कंप्यूटर पर हिंदी में शब्द संसाधन का प्रशिक्षण प्रदान करना कार्यालयीन कार्यों के निष्पादन में उपयोगी होगा, अतः केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और केंद्र सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, स्वायत्तशासी निकायों आदि में कार्यरत सभी वर्ग के अधिकारियों, जिनके लिए हिंदी टाइपलेखन/हिंदी में शब्द संसाधन का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, किंतु उपयोगी है, को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टाइपलेखन/हिंदी में शब्द संसाधन की प्रशिक्षण कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और स्थान उपलब्ध होने पर उन्हें कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है। किंतु, ये अधिकारी प्रशिक्षण के उपरांत हिंदी टाइपलेखन/हिंदी शब्द संसाधन की परीक्षा पास करने पर किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार नहीं होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि ।**

3. यह आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

4. यह कार्यालय ज्ञापन एकीकृत वित्त प्रभाग की दिनांक 28.08.2008 टिप्पणी सं.1530/1530/AS&FA (H) द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी किया जा रहा है।

(विजय कुमार गुप्ता)

अवर सचिव(प्रशिक्षण)

जारी...2/-

5

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
5. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।

प्रतिलिपिः-

1. गृह मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग के सभी अधीनस्थ एवं संबद्ध कार्यालय।
2. सभी संघ शासित क्षेत्र।
3. गृह मंत्रालय व राजभाषा विभाग के सभी अनुभाग/ डेस्क ।
4. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, पर्यावरण भवन, सी0 जी0 ओ0 कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली को उनकी फाइल संख्या- 22011/173/2008/केहिप्रसं/अ.वि(टं/आ) पर प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के संबंध में।
5. सभी संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना ।
6. एकीकृत वित्त प्रभाग (गृह मंत्रालय) को उनकी दिनांक 28.08.2008 की टिप्पणी संख्या- 1530/AS& FA[H] के संदर्भ में।
7. उप संपादक, पत्रिका एकक, राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली ।
8. तकनीकी निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लोकनायक भवन, नई दिल्ली को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर डालने हेतु प्रेषित ।
9. अतिरिक्त प्रतियां (30)।